बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0 एस0 आर0 8342 पटना / दिनांक 22-10-15

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002, एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का0 आ0 संख्या– 2642(अ) दिनांक 28 सितम्बर, 2015 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियिम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा–3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के अनुज्ञापन, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते है :–

(1) बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1495 दिनांक 10.03.2010 द्वारा खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2016 तक लागू रहेगा।

परन्तु इस आदेश की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :–

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक–निर्यातक कोड धारक निर्यातकों के खाद्य तिलहनों, खाद्य तेलों के निर्यात के लिए तात्पर्यित स्टॉक को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर,

(ख) अनुज्ञप्तिधारक खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं द्वारा खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में रखे गए आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर,

(ग) खुदरा व्यापारियों (मल्टीपल आउटलेट) और बड़े डिपार्टमेंटल खुदरा व्यापारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं पर।

(2) एतद्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ / आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

(3) यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

(प्र04 / आ–01 / 09 (खंड–III)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22/10/15

(एल0 पी0 सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\LPS\Notification 1.doc